

18-7-22 परावली माननीय न्यायालय राजस्व मंडल,
अजमेर के पर कुमांक/राम/न्याया/1A/नि/0
202/19/अजमेर/190 दिनांक 13-7-2022 के साथ
ओदेश दिनांक 12-7-22 की प्रति प्राप्त हुई।
पूर्वानुसार परावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
नियत है।

पुनश्च इतना लिखने पर अधिवक्ता
वादी ने उपस्थित होकर एक पार्थना-पत्र

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

बलवीर

बनाम

रघुनाथ

किस्म मुकदमा :- 53, 88, 88 A-T, Act

नंबर 345 वर्ष 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>वास्तै उक्त प्रकरण की प्रवावली आज ही तलब कर नोटप्रेस करने बाबत प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि वाद-प्रस्तुत भूमिके संबंध में पक्षकारों में राप्तीनामा हो गया है। वादीगण उक्त वाद को आगे नहीं चलावा चाहते है तथा वाद को नोटप्रेस करना चाहते है अतः याका वादीगण द्वारा नोटप्रेस करने के आधार पर न्याय किया जाता है।</p> <p>प्रवावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>बलवीर</p> <p>रघुनाथ</p> <p>पट्टनकर</p> <p>अधिवक्ता, न्यायिक</p> <p>18/07/2022</p>

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)